

पीठासीन अधिकारी  
प्रकरण सं० 78/अपील/18

न्यायालय अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

रामचरण शर्मा, आर०ए०एस०  
तारीख दायरा 25.06.18

लालचन्द आ० रतनलाल कुम्हार निवासी गेहूँखेड़ी तहसील अकलेरा

अपीलान्ट.....

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ज्य तहसीलदार तहसील अकलेरा

रेस्पोंडेन्ट.....

अपील बनाराजगी भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 आदेश दिनांक 21.11.17 तहसीलदार अकलेरा

उपस्थित:- श्री अमर सिंह लववंशी वकील अपीलान्ट

--: निर्णय ::-

दिनांक: 21.08.18

अपीलान्ट ने यह अपील जर्ज्य अभिभाषक तहसीलदार अकलेरा के आदेश दिनांक 21.11.17 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अकलेरा ने अपीलान्ट को ग्राम गेहूँखेड़ी की आराजी ख०न० 22 की 5 बिस्वा किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानते हुये 10/-शास्ती एवं दो माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है-हल्का पटवारी द्वारा गलत तरीके से जमीन पर अतिक्रमण होने बाबत झूठी रिपोर्ट दी है तथा इस बाबत स्वतंत्र गवाहान के बयान दर्ज नहीं किये हैं-उक्त आराजी के पास ही अपीलान्ट की खातेदारी भूमि है, जिस पर शांतिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया।

अपील सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

योग्य वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मेमो की पुष्टी करते हुये व्यक्त किया कि अपीलान्ट ने प्रश्नगत भूमि पर कब्जा हटा लिया है तथा जुर्माने की राशि भी जमा करा दी है-अपीलान्ट के विरुद्ध द्वितीय अतिचार भी प्रमाणित नहीं है फिर भी उसे सजायाब किया गया है जो उचित नहीं है-अब भविष्य में अपीलान्ट अब राजकीय आराजी पर कब्जा नहीं करेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई 2 माह के सिविल कारावास की सजा को माफ किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, विद्वान वकील अपीलान्ट की बहस पर भी गौर किया गया-अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली देखी गई। पत्रावली के अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी पर कब्जा किया था। योग्य अभिभाषक ने निवेदन किया है कि अपीलान्ट ने विवादग्रस्त आराजी से कब्जा हटा दिया है तथा जुर्माना राशि जमा करा दी है-इसलिए अपीलान्ट हमारी राय में कुछ राहत पाने का पात्र हो जाने से यह प्रकरण पुनः जांच का मोहताज है-परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील द्वारा पारित सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त करते हुए यह प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में पुनः सुनवाई करे व कब्जे के बाबत आवश्यक तहकीकात कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करने की कार्यवाही अमल में लावे। निर्णय आज दिनांक 21.08.2018 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया। निर्णय की प्रति शामिल पत्रावली रहे।

(रामचरण शर्मा)

अति० जिला कलक्टर एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट  
झालावाड़  
(सं०)